न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-465/2020

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) श्री सुन्दर पासवान, पिता-अलोधी पासवान
सा0-बेलवा, वार्ड नं0-04, थाना-घुरना
जिला-अररिया,
(टेम्पु रजिस्ट्रेशन सं0-BR38P3326,
ईंजन सं0-BBYWJF48630,
चेसीस सं0-MD2A95AY4JWF89304 का मालिक) ....विपक्षी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
03.12.2020	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 680/हि0शा0, दिनांक 12.03.2020) के आलोक में नरपतगंज(बसमतिया) थाना कांड संख्या-103/2020, दिनांक-28.02.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त टेम्पू रजिस्ट्रेशन सं0-BR38P3326, ईंजन सं0-BBYWJF48630, चेसीस सं0-MD2A95AY4JWF89-304 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षीयों को जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। विपक्षी सुन्दर पासवान की ओर से नरपतगंज(बसमतिया) थाना कांड संख्या- 103/2020, दिनांक-28.02.2020 में जब्त वाहन की विमुक्ति हेतु दिनांक-15.09.2020 को कारण-पृच्छा दाखिल किया गया। (2) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुबोध कुमार कर्ण को सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 680/हि0शा0, दिनांक-12.03.2020), विपक्षी का कारण-पृच्छा दिनांक 15.09.2020 एवं संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि सहायक उप निरीक्षक/सा0 बाहरी सीमा चौकी, तीन खम्भा 'डी' समवाय 56 वीं सशस्त्र सीमा बल, बथनाहा एवं अन्य द्वारा दिनांक 28.02.2020 को समय करीब 19:35 बजे गश्ती के दौरान बहारी सीमा चौकी तीन खम्भा शंतरी पोस्ट बोर्डर सड़क पर बसमतिया की ओर जा रही एक टेम्पू की तलाशी लिया गया। टेम्पू पर लदा बोरी से 100 बोतल कोडिनयुक्त DIALEX DC SYRUP प्रति बोतल 100 मिली लीटर कुल मात्रा-10 लीटर, SPASMO PROXYVON PLUS-144 CAPSUL, NITRAVATE TABLET-300 TABLET एवं NITROSON 10-500 TABLET बरामद किया गया। अधिसूचना संख्या-11/अधि.कार्या.-01-06/2016/4027, दिनांक-18.10.2016 के अनुसार बिहार राज्य सरकार Codein/ Dextropropoxyphene औषधीय घटक वाले दवाओं अथवा औषधीय निर्मित को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रयोजनार्थ "मादक द्रव्य" (Intoxicants)" अधिसूचित है। बरामद कोडिनयुक्त कफ सिरप, दवाई एवं टेम्पू पंजीयन संख्या-BR38P3326, ईंजन सं0-BBYWJF48630, चेसीस सं0-MD2A95AY4JWF-89304 को दो स्वतंत्र गवाह-1. राजेन्द्र, गुप्ता, पिता-रामानन्द गुप्ता, ग्राम-बौराहा, बनैलीपट्टी, जिला-सुपौल, 2. राम प्रसाद राम, पिता-स्व0 मोतीराम, पो0-बसमतिया, वार्ड नं0-09, जिला-अररिया के समक्ष विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। विपक्षी के विरूद्ध नरपतगंज (बसमतिया) थाना कांड संख्या-103/2020,दिनांक-28.02.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम दर्ज किया गया। विपक्षी द्वारा जब्त वाहन का उपयोग अवैध मादक द्रव्य को ढोने के लिए किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि विपक्षी के कारण-पृच्छा दिनांक-15.09.2020 को अस्वीकृत किया जाय तथा जब्त टेम्पू रजिस्ट्रेशन सं0-BR38P3326, ईंजन सं0-BBYWJF48630, चेसीस सं0-MD2A95AY4 -JWF89304 को राजसात किया जाय।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
03.12.2020	(4) विपक्षी सं0-02 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि विपक्षी जब्त वाहन का वास्तविक मालिक है। वाहन से संबंधित आवश्यक कागजात विपक्षी के पास उपलब्ध है। जब्त वाहन मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजनान्तर्गत विपक्षी को सरकार द्वारा प्रदत्त है। जब्त वाहन ही विपक्षी के जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है। जब्त कोडीनयुक्त कफ सिरप किसी यात्री का है। विपक्षी के पास से बरामद नहीं हुआ है। विपक्षी ने उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल किया है। जब्त कथित मादक द्रव्य से विपक्षी को कोई संबंध सरोकार नहीं है। जब्त टेम्पू नरपतगंज(बसमतिया) थाना परिसर में खुले आसमान के नीचे खड़ी है। टेम्पू खराब हो रही है। विपक्षी निर्दोष है। उनकी प्रार्थना है कि कारण-पृच्छा को स्वीकार करते हुए जब्त टेम्पू को विमुक्त करने का आदेश दिया जाय। (5) उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 680/हि0शा0, दिनांक 12.03.2020), कारण-पृच्छा दिनांक 15.09.2020 एवं संलग्न अन्य कागजातों के अवलोकन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि नरपतगंज(बसमतिया) थाना कांड संख्या-103/2020, दिनांक 28.02.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में बरामद कफ सीरप एवं टेम्पू को सहायक अवर निरीक्षक/सा0 नेकलर बगंग बाहरी सीमा चौकी तीन खम्भा डी समवाय, एस0एस0बी0 बेला, 56 वीं वाहिनी, बथनाहा द्वारा विधिवत् जब्त किया गया है। जब्त टेम्पू का उपयोग कुल-100 बोतल प्रति बोतल 100 मिली लीटर कुल-10 लीटर DIALEX DC SYRUP, जो मादक द्रव्य (Intoxicating drug) है, को बिना किसी वैद्य कागजात के व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में किया गया है। जब्त कफ सीरप का कोई दावेदार इस न्यायालय में अपना दावा नहीं किया है। जब्त टेम्पू को विमुक्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। विपक्षी का कारण-पृच्छा दिनांक-15.09.2020 मनगढ़ंत एवं गलत है तथा अस्वीकृत होने योग्य है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत जब्त वाहन राजसात होने योग्य है। तदनुसार विपक्षी के कारण-पृच्छा दिनांक-15.09.2020 को **अस्वीकृत** किया जाता है तथा नरपतगंज(बसमतिया) थाना कांड संख्या-103/2020, दिनांक-28.02.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त **टेम्पू रजिस्ट्रेशन सं0-BR38P3326, ईंजन सं0-BBYWJF48630, चेसीस सं0-MD2A95AY4JWF89304** को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत **राजसात(Confiscate)** किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक, मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें। विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं। उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, अररिया समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 2373/विधि, अररिया, दिनांक 11.12.2020 प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। समाहर्त्ता, अररिया	